HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए एक हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास व 60,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 30.06.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा एक हत्यारोपी को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 16-07-2023 को अभियुक्त टीकम पुत्र महीपाल निवासी नया गांव इनायतपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा भाई की सम्पत्ति हड़पने के लिए अपने सगे भाई की हत्या कर दी गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 315/2023 धारा 302, 504, 506 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 02.09.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 30.06.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा सश्रम आजीवन कारावास 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री गौरव नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री धारा सिंह एवं पैरोकार म0का0 रीटा व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 विपिन कुमार का विशेष योगदान रहा।